न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 103/18 (वाद पत्र)

1. श्रीमती गीता पत्नी नानालाल अहीर निवासी खोखरवास तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।

...........वादीया

बनाम

1. श्री परसराम पिता श्री मोडा भील निवासी खोखरवास तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)।

.............प्रतिवादी

उपस्थित :— 1. श्री मकेश कुमार मेनारिया, अधिवक्ता वादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :28.11.2019

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा खोखरवास पटवार हल्का भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 745/242 रकबा 2 बीघा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया के नाम खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित भूमि कार्यालय सब डिविजनल ऑफिसर वल्लभनगर से दिनांक 10.04.1989 को श्री डूंगर सिंह पिता श्री खेमसिंह राजपुत निवासी खोखरवास को सरकार द्वारा आवंटन कर विधिवत कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से श्री डूंगर सिंह इस भूमि पर काबीज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे और डूंगर सिंह द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करने से उक्त भूमि डूंगर सिंह के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी हक से अंकित हुई और डूंगर सिंह के निधन के बाद उनके विधिवत वारिसान श्रवण सिंह पिता श्री डूंगर सिंह एवं श्रीमती हंसा कूंवर बेवा डूंगर सिंह जाति राजपुत निवासी खोखरवास के नाम हिस्सा बराबर

से अंकित हुई और श्री श्रवण सिंह एवं हंसा कूंवर के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी और उक्त खातेदार से वादीया ने उक्त कुलीया भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 02.07.2009 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि वादीया के नाम खातेदारी हक से अंकित हुई और वादीया खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है।

2. उक्त वर्णित भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस में पेमुद होकर उक्त भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी की आराजी आ जाने से प्रतिवादी आए दिन वादीया के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौच करता है और कभी बाड़ तो कभी पेड़ो को नुकसान पहुंचाता ह, तो कभी घास तो कभी फसल को नुकसान पहुंचाता है और मना करने पर भी नही मानता है और गांव के लोगो द्वारा समझाईश कराने पर भी नही मानता है और वादीया को धमकी देता है कि वह अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है और ज्यादा की तो वह ऐसे झूठा मुकदमा दर्ज करा फंसा देगा कि जमानत भी नही होगी। दिनांक 16.06.2018 को प्रतिवादी वादीया की उक्त भूमि के उत्तर दिशा बाड़ को नुकसान पहुंचाने लगा जिस पर वादीया ने मना किया तो भी नही माना और बाड़ हटा दी और वादीया के मना करने के बावजूद आए दिन दखलन्दाजी कर रहा है एवं दिनांक 13.12.2018 को भी जबरन वादीया की भूमि में थूहर रोपने के लिए खड्डे खोदने लगा एवं वादीया की भमि में नींव खोद कर निर्माण कार्य करने की धमकी दी तो प्रतिवादी को वादीया ने ऐसा करने से मनाही की तो प्रतिवादी ने वादीया के हक व अधिकारों को चुनौती देते हुए धमकी दी कि वह वादीया को उक्त भूमि से बेदखल कर देगा एवं काश्त भी नही करने देगा जिससे वादीया को भय हो गया है कि प्रतिवादी वादीया की उक्त भूमि से वादीया को बेदखल कर देगा एवं वादीया को शान्तिपूर्वक काश्त नही करने देगा जिस स्थिति में वादीया को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय में वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना न्याय हित में आवश्यक हो गया है।

3. प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कर दिये जाने से प्रतिवादी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नही है जब कि वादीया को इतनी अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सूरत में नही आंका जा सकेगा।

वादीया का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दु वादीया के पक्ष में है।

4. बिनाय वाद विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 16.06.2018 एवं अन्तिम बाद दिनांक 13.12. 2018 को पैदा हुआ जब कि प्रतिवादी ने वाद वर्णित कृत्य किया तब से निरन्तर जारी है।

5. अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कराया जावे कि वह वाद में वर्णित खसरा नम्बर 745/242 रकबा 2 बीघा में प्रतिवादी आवे नही , जावे नही , जबरन कब्जा नही करे, वादीया को बेदखल नही करे, वादीया की पाली, बाड़ पेड़ फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुंचाये एवं वादीया को शान्तिपुर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। यह कार्य प्रतिवादी अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करावें ।

6. वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69, नक्शा ट्रेस, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किये गये है ।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही पारम्भ की गई । प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी का सम्मन बाद तामील पेश हुआ एवं बावजूद सूचना प्रतिवादी के उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 02.01.2019 को एकतरफा कायवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई एवं साक्ष्य वादी पारम्भ करवायी गई ।

8. साक्ष्य वादीया पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती गीता पत्नी नानालाल अहीर द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 को प्रदर्श–1, नक्शा ट्रेस को प्रदर्श–2 तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को प्रदर्श–3A करवाया गया है ।

9. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीया की एक पक्षीय बहस सुनी । बहस में अधिवक्ता वादीया ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा वादीया के वाद को डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया।

10. हमारे द्वारा अधिवक्ता वादीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2066–69 के खाता संख्या 168 के अनुसार मौजा खोखरवास की वादवर्णित आराजी नम्बर 745/242 रकबा 2 बीघा भूमि वादीया के एकल खातेदारी हक की होकर दर्ज रिकोर्ड है। सम्मन तामील होने के बावजूद प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नही हुआ जिससे यही जाहिर होता है कि मामले में प्रतिवादी को न तो वादीया के विरूद्ध अपना कोई पक्ष रखना है, न ही अपनी ओर से कोई पैरवी करनी है। वैसे भी वादवर्णित भूमि में प्रतिवादी का कोई हक – हिस्सा निहित नही होना स्पष्ट होता है। चूंकि वाद वर्णित कृषि भूमि केवल वादीया के खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है तथा उसमें प्रतिवादी का कोई हक –हिस्सा निहित नही होने से तथा बावजूद सूचना के प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से वादीया का प्रथम दृष्टया केस होना प्रमाणित है। साथ ही जैसा कि वादीया ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, यदि प्रतिवादी वादवर्णित भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेता है तथा वादीया को बेदखल कर देता है तो उससे वादीया को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। साथ ही चूंकि वाद वर्णित भूमि केवल मात्र वादीया के नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है, ऐसे में सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी वादीया के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

11. अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीया की तन्हा खातेदारी हक की मौजा खोखरवास पटवार क्षेत्र भटवेर तहसील वल्लभनगर की कृषि भूमि आराजी नम्बर 745/242 रकबा 2 बीघा भूमि में न तो प्रवेश करे, न जबरन कब्जा करे, न वादीया को बेदखल करे, न ही वाद वर्णित भूमि व उसमें खड़ी फसल को कोई नुकसान कारित करे। उक्त कृत्य प्रतिवादी किसी अन्य से भी नही करावें।

12. डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

13. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.12.03 22:09:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: